

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- ११/२०२२

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- २०२२/११०

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्यालय २०१-२०१२, द्वितीय तल, साउथ एंड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-३०२०२० राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री छोटू सिंह राठौड़		१. श्री रामकुमार पुत्र खियाराम पता-आम गवाड़, ग्राम पोस्ट कलरू, तहसील मेडता जिला नागौर ३४१५१० राजस्थान द्वितीय पता- श्री रामकुमार आवासीय सम्पति अवस्थित पट्टा नं. १६२० बुक नम्बर ३३ मिसल नम्बर ०४/२०१७-१८ गांव कलरू, ग्राम पंचायत कलरू, मेडता सिटी, जिला नागौर राजस्थान २. श्रीमति पतासी पत्नि खियाराम पता-आम गवाड़, ग्राम पोस्ट कलरू, तहसील मेडता जिला नागौर ३४१५१० राजस्थान ३. श्रीमति इन्द्रा पत्नि रामकुमार पता-आम गवाड़, ग्राम पोस्ट कलरू, तहसील मेडता जिला नागौर ३४१५१० राजस्थान ४. श्री रामस्वरूप खाती पुत्र हरदीन राम पता-खातीयो का बास, गांव कलरू, मेडता जिला नागौर ३४१५१० राजस्थान

आदेश

दिनांक: ०१/०४/२०२२

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १४ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये ७,५०,०००/- (अक्षरे सात लाख पच्चास हजार रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक ०७.०२.२०१८ एवं रुपये ३,७५,०००/- (अक्षरे तीन लाख पिचेत्तर हजार रुपये मात्र) दिनांक २३.०२.२०१९ कुल रुपये ११,२५,०००/- (अक्षरे ग्यारह लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति- श्री रामकुमार आवासीय सम्पति अवस्थित पट्टा नं. १६२० बुक नं. ३३ मिसल नं. ०४/२०१७-१८ गांव कलरू, ग्राम पंचायत कलरू, मेडता सिटी, जिला नागौर राजस्थान जिसका क्षेत्रफल २३३३.७० वर्गफीट तथा पडीस निम्न है- उत्तर में- मेहरिया की गवाड़ी, दक्षिण में- सामलाती निजी रास्ता एवं स्वयं का निकाल, पूर्व में- मकान जिसका नं. एवं मकान



दिनाराम जाट, पश्चिम में- पतासी पत्नि खियाराम जाट का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 06.11.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 12,30,221/- (अक्षरे बारह लाख तीस हजार दो सौ इक्कीस रुपये मात्र) दिनांक 05.10.2021 तक शेष देय बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 14.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 12,30,221/- (अक्षरे बारह लाख तीस हजार दो सौ इक्कीस रुपये मात्र) दिनांक 05.10.2021 तक शेष देय को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री रामकुंवार आवासीय सम्पत्ति अवस्थित पट्टा नं. 1620 बुक नं. 33 मिसल नं. 04/2017-18 गांव कलरू, ग्राम पंचायत कलरू, मेडता सिटी, जिला नागौर राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 2333.70 वर्गफीट तथा पडौस निम्न है- उत्तर में- मेहरिया की गवाडी, दक्षिण में- सामलाती निजी रास्ता एवं स्वयं का निकाल, पूर्व में- मकान जियाराम एवं मकान दिनाराम जाट, पश्चिम में- पतासी पत्नि खियाराम जाट का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 7,50,000/- (अक्षरे सात लाख पच्चास हजार रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 07.02.2018 एवं रुपये 3,75,000/- (अक्षरे तीन लाख पिचेत्तर हजार रुपये मात्र) दिनांक 23.02.2019 कुल रुपये 11,25,000/- (अक्षरे ग्यारह लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।



वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - श्री रामकुंवार आवासीय सम्पत्ति अवस्थित पट्टा नं. 1620 बुक नं. 33 मिसल नं. 04/2017-18 गांव कलरू, ग्राम पंचायत कलरू, मेडता सिटी, जिला नागौर राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 2333.70 वर्गफीट तथा पडौस निम्न है- उत्तर में- मेहरिया की गवाडी, दक्षिण में- सामलाती निजी रास्ता एवं स्वयं का निकाल, पूर्व में- मकान जियाराम एवं मकान दिनाराम जाट, पश्चिम में- पतासी पत्नि खियाराम जाट का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर